


### आदेश

कार्यहित में कॉलम दो (2) में अंकित विभिन्न कार्यालय प्रधान को उनके द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में कॉलम चार (4) में अंकित कार्यपालक सहायक को नियोजित करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

क्र०	अधियाची पदाधिकारी का पत्रांक एवं दिनांक	ID No.	नाम	पिता का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक 1406 दिनांक 19.11.16	VAI001103	सनोज कुमार	अशर्फी साह	
2		VAI000767	नीरज कुमार	दूर्गा प्रसाद सिंह	
3	जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 15 दिनांक 25.11.16 पुनः पत्रांक 23/अधि० दिनांक 01.12.16	VAI002463	गणेश कुमार	नागेन्द्र प्रसाद दास	
4		VAI002800	नवीन कुमार	विशेश्वर सिंह	
5		VAI001580	राजेश कुमार रंजन	अमरेन्द्र कुमार अभय	
6		VAI001078	मो० साजिद	मो० सेराजउद्दीन	
7		VAI001207	सुजीत कुमार	शंकर राय	
8		VAI000675	संतोष कुमार	बैद्यनाथ राय	
9		VAI000911	रौशन कुमार शर्मा	उमा शंकर शर्मा	
10		VAI000407	विजय कुमार	राम प्रकाश राय	
11		VAI000287	संजीव कुमार रंजन	शत्रुघ्न दास	
12		VAI000732	राज किशोर राय	राजेन्द्र राय	
13		VAI001478	रंजन कुमार	राम नरेश ठाकुर	
14		VAI000003	चंदन कुमार	शंभू नाथ चौधरी	
15		VAI001658	पंकज कुमार साह	उपेन्द्र साह	
16		VAI000311	रत्नेश कुमार	रामदेव राय	
17	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 780 दिनांक 25.11.16	VAI002725	मिथलेश कुमार यादव	केदार राय	
18	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 870 दिनांक 02.12.16	VAI001424	मनीष कुमार	सम्पत साह	(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली में कार्यरत)

  
 6.12.16  
 जिला पदाधिकारी,  
 वैशाली।

शर्तें :-

1. नियोजन हेतु नियुक्ति पत्र संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. इन्हें दिनांक 15/12/16 तक अंकित कार्यालय में योगदान करना होगा।
3. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी/नियोक्ता का होगा।
4. विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी /नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार की यात्रा भता देय नहीं होगा।
8. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

ह -  
जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।

- ज्ञापांक-1328 दिनांक- 7/12/16
- प्रतिलिपि- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली/जिला सहकारित पदाधिकारी, वैशाली/कार्यपालक अभियंता वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी(RTPS), वैशाली हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित है कि निम्नांकित उपस्कारों (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिन्टर (ब्लैक एण्ड व्हाइट) (ग) एक यू0पी0एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन डिभाईस के साथ अपना योगदान पत्र प्राप्ति के तीनों दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।